


अज अदालत..... महायुक्त कलक्टर (SDO) मुकाम.....
बायल

..... नरवताराम बनाम राधुराम कोहरा
किस्म मुकदमा सि. आ. 47, 111, 128 व 251 सन 2018
RLR Act

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तादील में जारी हुए
11/11/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रवताराम जाक</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12/12/18</u> को पेश हो।</p>	
12/12/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थियों के नोटिस तामिल खुदा प्राप्त जिसे शामिल पञ्चायती शीमा जमा। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों के अन्तर्गत होने के निमित्त इल्लका दौडा आगामी दिनांक <u>18/12/18</u> को पेश हो।</p>	
18/12/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थियों अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी कार्यों के पदार्थे इल्लका दौडा निमित्त इल्लका दौडा आगामी दिनांक <u>26/02/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">//</p>	

26/02/19

प्रार्थी वडील उपलब्ध / विपरीत अनुसंधान
श्रीमान पीतलनी त्रिभारती दिग्ग कामों के साथ
होने से मिकाल इल्लवा होउर आवासी दिमाउ
03/04/19 को पैरा ही। व

03/04/19

प्रार्थी वडील उपलब्ध / विपरीत बावजुद
तमिल अनुसंधान / न्यायालय समग्र तीन बार
आवाज लागू गई संलियु आवाज 5.45 pm पर
लागू गई विपरीत स्वयं या उलही कोर से
होई अधिकतम उपलब्ध नहीं हुआ, विपरीत
अनुसंधान रहने से इनके विरुद्ध एडवोकेट
कायवादी मामल में लाई जाली है। प्रार्थी के
अधिकतम की एडवोकेट कहल हुनी गई प्रार्थी
के अधिकतम ने बलात्त की प्रार्थी को अपने
ध्यातेशारी ध्येनो के चारों कोर पक्के नेधमवनी
पित्त करना कावदमकु है इसलिए प्रार्थी को नेधमवनी
काकेडन स्वीकार बीमा जाउर नेधमवनी आदेश
बीमा जाके।

अतः प्रार्थी को नेधमवनी काकेडन
स्वीकार बीमा जाउर लक्ष्मीलडार बाबु के उमिशान
निधुक्त बीमा जाला है व कोरेश दिमा जाला है
कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ बीमा भी
अथ कमिलेय निरिसकु से प्रार्थी के ध्यातेशारी ध्येन
की पक्की नेधमवनी मोडे पर ब्युलड जमाउराउर
हूँ। पालना रिपोर्ट जाला होवे पर शामिल पभावली
है। पभावली फैसल सुमार है, दर्ज नम्बर से
कम है, दाखिल दफ्तर है।

03.4.2019

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 43

दिनांक:-03/04/2019

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नखताराम पुत्र गोरधनराम वगैरा जाति प्रजापत
निवासी खेजडियाली झाक
तहसील बायतु जिला बाडमेर


1. राजुराम पुत्र हजारीराम वगैरा
जाति प्रजापत निवासी खेजडियाली
झाक तहसील बायतु(बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 251/18

आदेश

मौजा खेजडियाली पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 347/231, रकबा 45.00 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिडा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।




उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 44 to 49

दिनांक:- 03/04/2019

प्रतिहिति :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नखताराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री राजुराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा/बायतु।



उपखण्ड अधिकारी बायतु